रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24112026-278144
CG-DL-E-24112026-278144

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6086] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 20, 2026/कार्तिक 29, 1948
No. 6086] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 20, 2026/KARTIKA 29, 1948

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवंबर, 2026

का.आ. 6326(अ).— पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यथा अपेक्षित प्रारूप पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहन) संशोधन नियम, 2026 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्या का.आ. 1619(अ) तारीख, 27 मार्च, 2026 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त प्रारूप नियमों को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से साठ दिन की अवधि के अवसान से पूर्व सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाला राजपत्र तारीख 27 मार्च, 2026 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और, प्राप्त सभी आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है;

और, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उपनियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा लोकहित में है, तो वह पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप नियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा को समाप्त कर सकेगी;

और, केंद्रीय सरकार की यह राय है कि पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहन) नियम, 2025 में संशोधन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप नियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा को समाप्त करना लोक हित में है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (1) के खंड (ii) और (x) तथा उपनियम (3) और उपनियम (4) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (vii), धारा 6 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (ग) और खंड (घ), धारा 8 तथा धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहन) संशोधन नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहन) नियम, 2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4 के उपनियम (6) में, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

> "परंतु यह कि उपनियम (6) के उपबंध उत्पादकों द्वारा अपने परिचालन को स्थायी रूप से बंद किए जाने पर ही परिचालनीय होंगे और उन उत्पादकों पर लागू नहीं होंगे जो अपना परिचालन जारी रखते हैं:
>
> परंतु यह और कि परिचालन को स्थायी रूप से बंद किए जाने के समय पर, उत्पादक केंद्रीय बोर्ड को इस संबंध में केंद्रीय बोर्ड द्वारा उपबंधित रूपविधान के अनुसार, यथास्थिति, पूर्ववर्ती पंद्रह वर्षों के दौरान बाजार में पुर:स्थापित परिवहन वाहनों या पिछले बीस वर्षों के दौरान बाजार में पुर:स्थापित गैर-परिवहन वाहनों, की जानकारी देगा तथा केंद्रीय बोर्ड तत्पश्चात् परिचालन बंद किए जाने की तारीख को उक्त उत्पादक के संबंध में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी बाध्यताओं का अवधारण करेगा और उत्पादक को इसकी सूचना देगा तथा केंद्रीय बोर्ड, उप नियम (6) के अधीन विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी बाध्यताओं का अवधारण करते समय इस संबंध में लागू सभी उपबंधों को ध्यान में रखेगा।"

3. उक्त नियमों में, नियम 9 के उपनियम (2) में, "या रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र पर संसाधित अन्य स्टील स्क्रैप सामग्री" शब्दों का लोप किया जाएगा।

[फा.सं. एचएसएम-23/55/2021-एचएसएम-भाग(1)]

उदय चौधरी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का. आ. 98(अ.), तारीख 6 जनवरी, 2025 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2026

S.O. 6326(E).— WHEREAS the Draft Environment Protection (End-of-Life Vehicles) Amendment Rules, 2026 were published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), *vide* S.O. 1619 (E), dated 27th March, 2026, inviting objections and suggestions from all persons before the expiry of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said draft rules were made available to the public;

AND WHEREAS the Gazette containing the said notification was made available to the public on the 27th March, 2026;

AND WHEREAS all the objections and suggestions received have been duly considered by the Central Government;

AND WHEREAS sub-rule (4) of the rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the Environment Protection (End-of-Life Vehicles) Rules, 2025;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (vii) of sub-section (2) of section 3, sub-section (1), clause (c) and clause (d) of sub-section (2) of section 6, section 8, clause (b) of sub-section (2) of section 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clauses (ii) and (x) of sub-rule (1) and clause (d) of sub-rules (3) and (4) of rule 5 the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules, namely : —

1. **Short title and commencement.** — (1) These rules may be called the Environment Protection (End-of-Life Vehicles) Amendment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment Protection (End-of-Life Vehicles) Rules, 2025 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 4, in sub-rule (6), the following shall be inserted, namely: —

‘‘Provided that the provisions of sub-rule (6) shall come into operation only upon permanent cessation of operations by the producers and shall not apply to producers that continue to operate:

Provided further that at the time of permanent cessation of operations, the producer shall inform the Central Board about the vehicles introduced in the market in the preceding fifteen years for transport vehicles or twenty years for non-transport vehicles, as the case may be, as per the format provided by the Central Board in this regard and the Central Board shall, thereafter, determine and inform the Extended Producer Responsibility obligations in respect of the said producer, as on the date of cessation of operations and while determining the Extended Producer Responsibility obligations, under sub-rule (6), the Central Board shall take into consideration all the applicable provisions in this regard. ’’.

3. In the said rules, in rule 9, in sub-rule (2), the words “or other steel scrap materials related to automobile sector processed at Registered Vehicle Scrapping Facility” shall be omitted.

[F. No. HSM-23/55/2021-HSM-Part(1)]

UDAY CHAUDHARI, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 98(E), dated the 6th January, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

BHABAJIT DEKA Digitally signed by BHABAJIT DEKA Date: 2026.11.24 09:40:56 +05'30'